

Week 3	Wed
PATEL	SIAS
12	19
13	20
4	21
	22
	23
	24
	25

Week 3	W
PATEL	SIL
14	21 M
15	22
	23
16	24
17	25
18	26
19	27
20	28
	29
	30
	31

प्रेषक:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा।
सेवा में,

प्रबन्धक

जे0वी0 इन्टरनेशनल स्कूल सलेमपुर रोड, गजरौला विकास खण्ड गजरौला जिला अमरोहा

पत्रांक - बे0(1)/ 30360-64 / 2021-22 दिनांक 31/12/2021

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का धारा 18 क प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 25.06.2021 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से, शासनादेश सं0 419/79-6-2019-24 एस(7)/89 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार अमरक्रीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं जे0वी0 इन्टरनेशनल स्कूल सलेमपुर रोड, गजरौला विकास खण्ड गजरौला जिला अमरोहा (विद्यालय का नाम पत्र सहित) को तारीख 01.07.2021 से तारीख 30.06.2024 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पंडोस के कमजोर बच्चों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु को सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।
iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकाथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और
viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भाडोगार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

निड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

वायुरहित पड्डे

अव्यायाम पट्टेन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए प्रमाणित चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संघीयता की जांच की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण को एक प्रति अकाउंटेंट द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे कक्षा के पास रखा जाएगा।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंशुलित और सुनिश्चित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर दें या विद्यालय के कार्यक्रम की कानियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

17. सततन उपाय के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राचार में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(निरंतर सिंह)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

पत्रांक - वे 0 (1) / 2021-22 दिनांक
प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित।

1. सचिव वेसिक शिक्षा परिषद, उ0य0 इलाहाबाद
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक), इलाहाबाद मण्डल मुख्यालय।
3. समान कल्याण अधिकारी / पिछडा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. सम्बन्धित उपर शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।

PRINCIPAL
J.V. International School
Gairaula (Amroha)

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा
Mandali
J.V. International School
Gairaula (Amroha)